अपील रसद प्रकरण संख्या 03/2019 (RCMS 2019/00033) अनवान् राजाराम पुत्र श्री भगवाना राम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

16.03.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिह भनोत एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हैं। उभयपक्ष की बहस पूर्व में दिनांक 02.03.2020 को सुनी चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी राजाराम गांव मोटासर खूनी में उचित मूल्य दुकानदार है एवं अप्रार्थी के विरूद्ध यह आक्षेप कि वह 400 लीटर मिट्टी के तेल को कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया एवं अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना गजसिंहपुर में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा दर्ज हुआ और अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया एवं इसके आधार पर अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी दिया गया, लेकिन जिला रसद अधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण को बिना किसी आधार के उचित नहीं मानते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया, जो सही नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी गांव मोटासर खूनी का उचित मूल्य दुकानदार है और उसके विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार से राशन वितरण सम्बन्धी कार्य में कोई अनियमितता बरतने का आरोप नहीं लगा है और अपीलार्थी सदैव निष्ठा से उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता आ रहा है। केवल मात्र पुलिस अधिकारी के अनुसंधान के आधार उसका अनुज्ञा पत्र निरस्त करना उचित नहीं था, इसके लिए जिला रसद अधिकारी को स्वयं अपने स्तर से भी जांच करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार कर, जिला रसद अधिकारी का आदेश निरस्त किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत रेस्पोडेंट विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि राजाराम भगवानाराम, उचित मूल्य दुकानदार, मोटासर खूनी तहसील श्रीकरणपुर द्वारा 400 लीटर डीजल केरोसीन अवैध रूप से कालाबाजारी करते हुए पकडे जाने पर पुलिस थाना गजसिंहपुर द्वारा डीलर के विरूद्ध अभियोग संख्या 136/16 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में दर्ज कर उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है और इस आश्य का एक प्रार्थना पत्र ग्राम मोटसरखूनी के निवासियों द्वारा जिला कलक्टर को शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया था जिस पर अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी कर उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान, मोटासर खूनी का अनुज्ञा पत्र सही रूप से निरस्त किया गया है, जो सही है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी राजाराम उचित मूल्य दुकानदार, मोटासर खूनी है और राजाराम (पोस संख्या 12441) को अगस्त व सितम्बर 2016 में 1750 लीटर केरोसनी का आवंटन किया गया तथा उसके द्वारा उक्त दो माह में 900 लीटर केरोसीन वितरण किया गया है तथा वितरण उपरान्त 850 लीटर केरोसीन स्टॉक में बकाया था और पुलिस द्वारा 400 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी करते हुए उसे पकड़ा गया था जो राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों एवं उसके तहत प्रदत प्राधिकार पत्र की शर्तो का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उसका अनुज्ञा पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। अतः उसकी अपील खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी के पास राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है और इस आदेश 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम पुलिस अधिकारी भी कार्रवाई कर सकता है और पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उसे दोषी मानकर धारा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। इसलिए विभाग द्वारा भी अपने स्तर से जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली में उपलब्ध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 16.03.2020 के अनुसार अपीलार्थी राजाराम उचित मूल्य दुकानदार, मोटासर खूनी है और राजाराम (पोस संख्या 12441) को अगस्त व सितम्बर 2016 में 1750 लीटर केरोसीन का आवंटन किया गया तथा उसके द्वारा उक्त दो माह में 900 लीटर केरोसीन वितरण किया गया है तथा वितरण उपरान्त 850 लीटर केरोसीन स्टॉक में बकाया था। पत्रावली में उपलब्ध फाईनल रिपोर्ट थाना पुलिस, गजसिंहपुर के द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार राजाराम उचित मूल्य दुकानदार है और उसके द्वारा कालूराम व बलराम को 400 लीटर राशन डिपो का केरोसीन 15600/– रूपये में दिनांक 11.09.2016 को अवैध रूप से विक्रय करने के कारण गिरफ्तार किया गया है और उनके विरूद्ध बाद जांच सक्षम न्यायालय में चालान भी पेश किया जा चुका है। अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। इस आदेश 1976 के प्रावधानों की उलंघना पर सक्षम पुलिस अधिकारी भी अनुज्ञा पत्र धारक के विरूद्ध कार्यवाही के लिए सक्षम है। सक्षम पुलिस अधिकारी की जांच के आधार पर अपीलार्थी को 400 लीटर केरोसीन का कालूराम व बलराम को अवैद्य विक्रय करने का दोषी माना गया है इसलिए पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के पश्चात विभाग द्वारा पृथक से किसी प्रकार की जांच करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति कि विभाग द्वारा अपने स्तर से कोई जांच नहीं की गई है अस्वीकार की जाती है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि जिला रसद अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों की शिकायत पर पुलिस अधिकारी द्वारा की गई उक्त जांच के आधार पर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उस पर प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर पूर्णरूप से विचार किया गया है। चूंकि पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार, मोटासरखूनी को कालूराम व बलराम को 400 लीटर केरोसीन को अवैध विक्रय करने का दोषी मानकर उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चालान पेश किया जा चुका है और इसमें जिला रसद अधिकारी को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं है। इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का उक्त आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने सम्बन्धित आदेश दिनांक 27.12.2018 उचित है और उसमें किसी प्रकार हस्ताक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 27.12.2018 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर